अपील सूचना अधिकार संख्या 55/2019 (RCMS 2019/00156) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पो.ऑ.न 577579) बनाम अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), पंजीयन प्रभारी, श्रीगंगानगर

16.10.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में कहा कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), पंजीयन प्रभारी, श्रीगंगानगर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 17.06.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 06 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसे लोक अधिकारी से वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित की जावे एवं हर्जाना प्रार्थी को दिलवाये जाने की प्रार्थना की है।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.06.2019 से लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (पंजीयन) श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1 अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर का पत्रांक उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक कलक्टर मुद्रांक, हनुमानगढ वृत क्रमांक 378 दिनांक 14.02.2019 में अंकित तथ्य संख्या 3 में (सम्बोधित पत्रांक जिला पंजीयक श्रीगंगागनर उप पंजीयक, श्रीगंगानगर द्वारा अपना जवाब प्रेषित किया है कि पत्रांक 703 दिनांक 18.09.2018 स्टाम्प विक्रेता के रजिस्टर के सम्बन्ध में

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को लिखा गया, जिसमें कोषाधिकारी ने यह बताया है कि महेन्द्र कुमार छाबड़ा स्टाम्प वेण्डर का स्टाम्प विक्रय रजिस्टर वर्ष 2000 का स्टाम्प विक्रय रजिस्टर कोष कार्यालय में जमा होना नही पाया जाता है तथा महेन्द्र छाबड़ा द्वारा यह बताया गया है कि स्टाम्प विक्रय रजिस्टर कोष कार्यालय में जमा करवा दिया है।

उपरोक्त विरोधाभासी कथनों के आधार पर जो अधिकारी व महेन्द्र छाबड़ा के विरूद्ध जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाने बाबत सूचना व जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति

2. पत्रांक 378 दिनांक 14.02.2019 पर श्रीमान् द्वारा जो जो कार्यवाही जिस जिस कर्मकार कोषाधिकारी कार्यालय के विरूद्ध की गई व महेन्द्र छाबड़ा स्टाम्प वेण्डर के विरूद्ध की गई, इसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
3. उपरोक्त विरोधाभासी कथनों के सम्बन्ध में दोषी कर्मकार के विरूद्ध जो कार्यवाही एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के सम्बन्ध में की गई, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 19.03.2019 को दिये जाने के उपरान्त जिस नियम के अधीन एफ.आई.आर. दर्ज नही की है उस नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
5. सम्बन्धित के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के सम्बन्ध में जिस अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब किया जा रहा है, उस दस्तावेज व नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

6. सम्बन्धित के विरूद्ध महेन्द्र छाबड़ा द्वारा स्टाम्प जमा न करवाने के सम्बन्ध में जिस दोषी कर्मकार के विरूद्ध कार्यवाही नही की गई है, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपने पत्रांक पंजीयन/2019/1328 दिनांक 16.08.2019 अपील पत्र के जवाब के संलग्न पत्रांक आर.टी.आई./2019/676 दिनांक 02.08.2019 एवं जिला कोषाधिकारी के पत्रांक 82 दिनांक 29.07.2019 की प्रति संलग्न की है, जिनके अनुसार अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया गया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में सूचना का अधिकार के तहत चाही गई सूचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बिन्दु	जवाब
1	अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर का पत्रांक उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक कलक्टर मुद्रांक, हनुमानगढ वृत क्रमांक 378 दिनांक 14.02.2019 में अंकित तथ्य संख्या 3 में (सम्बोधित पत्रांक जिला पंजीयक श्रीगंगागनर उप पंजीयक, श्रीगंगानगर द्वारा अपना जवाब प्रेषित किया है कि पत्रांक 703 दिनांक 18.09.2018 स्टाम्प विक्रेता के रजिस्टर के सम्बन्ध में कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को लिखा गया, जिसमें कोषाधिकारी ने यह बताया है कि महेन्द्र कुमार छाबड़ा स्टाम्प वेण्डर का स्टाम्प विक्रय रजिस्टर वर्ष 2000 का स्टाम्प विक्रय रजिस्टर कोष	उक्त बिन्दु कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

			कार्यालय में जमा होना नही पाया जाता है तथा महेन्द्र छाबड़ा द्वारा यह बताया गया है कि स्टाम्प विक्रय रजिस्टर कोष कार्यालय में जमा करवा दिया है। उपरोक्त विरोधाभासी कथनों के आधार पर जो अधिकारी व महेन्द्र छाबड़ा के विरूद्ध जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाने बाबत सूचना व जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति			
		2	पत्रांक 378 दिनांक 14.02.2019 पर श्रीमान् द्वारा जो जो कार्यवाही जिस जिस कर्मकार कोषाधिकारी कार्यालय के विरूद्ध की गई व महेन्द्र छाबड़ा स्टाम्प वेण्डर के विरूद्ध की गई, इसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	उक्त बिन्दु कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से संबंधित है।		
		3	उपरोक्त विरोधाभासी कथनों के सम्बन्ध में दोषी कर्मकार के विरूद्ध जो कार्यवाही एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के सम्बन्ध में की गई, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जांच लम्बित नहीं है व इस प्रकार के किसी रिकॉर्ड का संधारण इस कार्यालय में नहीं किया जाता है।		
		4	प्रथम सूचना रिपोर्ट कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 19.03.2019 को दिये जाने के	इस प्रकरण के संबंध में कार्यालय के पत्रांक 60 दिनांक 08.05.		

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

	उपरान्त जिस नियम के अधीन एफ.आई.आर. दर्ज नही की है उस नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	2019 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
5	सम्बन्धित के विरूद्ध एफ. आई.आर. दर्ज करवाने के सम्बन्ध में जिस अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब किया जा रहा है, उस दस्तावेज व नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	ऐसा कोई नियम या दस्तावेज संधारित नहीं है।
6	सम्बन्धित के विरूद्ध महेन्द्र छाबड़ा द्वारा स्टाम्प जमा न करवाने के सम्बन्ध में जिस दोषी कर्मकार के विरूद्ध कार्यवाही नही की गई है, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	इस कार्यालय में इससे सम्बन्धित सूचना का संधारण नहीं किया जाता है।

-sd-
जिला कोषाधिकारी
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते **सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है।**

सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है। इसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद) एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar Goyal
Date: 2019.11.08 15:05:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: